



प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक 14/2012

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा: जिला मजिस्ट्रेट, बिलासपुर (छ.ग.)

---आवेदक

विरुद्ध

परसराम, पिता श्री नेवेदराम श्यामवानी, आयु लगभग 59 वर्ष, निवासी गुरुनानक चौक, तोरवा, थाना-
तोरवा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

---अनावेदक

आवेदक/राज्य की ओर से : श्री दीपक कुमार सिंह, पैनल अधिवक्ता।

अनावेदक की ओर से : श्री आनंद केशरवानी, विधिक सेवा द्वारा नियुक्त अधिवक्ता।

(माननीय न्यायमूर्ति श्री राधाकिशन अग्रवाल)

बोर्ड पर निर्णय

21/11/2024

सुना गया।

1. यह पुनरीक्षण, राज्य द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 401/397 के अधीन प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 140/2011 में दिनांक 14.10.2011 को पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके माध्यम से विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अनावेदक को विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 (एतस्मिन् पश्चात जिसे 'पदार्थ अधिनियम' कहा गया है) की धारा 3 व 4 के अधीन आरोपित अपराध से उन्मोचित कर दिया था।

2. अभियोजन का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 17.06.2011 को सूचनादाता की सूचना पर, विवेचना अधिकारी ने भाग्यश्री क्रशर स्टोन, खैरा नामक क्रशर प्लांट पर छापा मारा। छापे के दौरान, विवेचना अधिकारी ने अनावेदक के पास एक बैग पाया जिसमें डेटोनेटर, फ्यूज वायर, अमोनियम नाइट्रेट और मिट्टीतेल था। विवेचना के दौरान यह प्रकट हुआ कि उक्त पदार्थों को पत्थरों में विस्फोट करने के प्रयोजन से उपलब्ध कराया गया था। तत्पश्चात, अनावेदक को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 के अधीन अवैध पदार्थों को रखने का विधिपूर्ण प्राधिकार प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिया गया, किंतु उसने न



तो कोई विधिपूर्ण प्राधिकार प्रस्तुत किया और न ही विस्फोटक पदार्थों के संबंध में कोई लाइसेंस प्रस्तुत किया। अनावेदक को गिरफ्तार किया गया एवं अपराध क्रमांक 272/2011 के अधीन प्रथम सूचना प्रतिवेदन पंजीबद्ध किया गया। पदार्थ अधिनियम की धारा 7 के अधीन उचित मंजूरी प्राप्त करने के बाद, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलासपुर के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने प्रकरण सत्र न्यायालय को उपापित किया। दस्तावेजी साक्ष्यों के विवेचन के उपरांत, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अनावेदक को उपरोक्त आरोपों से उन्मोचित कर दिया। अतः यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई है।

3. आवेदक/राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 05.08.2011 के आदेश के माध्यम से अनावेदक के विरुद्ध अभियोजन चलाने हेतु दी गई मंजूरी विधि सम्मत है तथा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ऐसा आदेश जारी करने हेतु सक्षम हैं। उनका आगे यह तर्क है कि अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई मंजूरी/सम्मति वैध है क्योंकि उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अधीन जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग किया था। इसलिए, प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित वह आदेश, जिसमें यह अवधारित करते हुए अनावेदक को उन्मोचित किया गया है कि उक्त आदेश में कमी है क्योंकि यह अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया था जो सक्षम नहीं हैं, संधारणीय नहीं है।

4. दूसरी ओर, अनावेदक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि पदार्थ अधिनियम की धारा 7 के अनुसार, केंद्र सरकार ने ऐसे प्रकरणों में शामिल अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोजन चलाने के लिए केवल जिला मजिस्ट्रेट को ही मंजूरी/सम्मति आदेश जारी करने हेतु प्राधिकृत किया है और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को मंजूरी/सम्मति आदेश जारी करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इस संबंध में मध्य प्रदेश राज्य विरुद्ध भूपेन्द्र सिंह, (2000) 1 एससीसी 555 के प्रकरण का अवलंब लिया गया है।

5. मैंने आवेदक/राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता को सुना है तथा अभिलेख का परशीलन किया है।

6. आगे बढ़ने से पूर्व, पदार्थ अधिनियम की धारा 7 को यहाँ उद्धृत करना उचित होगा:

"7. अपराधों के विचारण पर निर्बन्धन-- इस अधिनियम के विरुद्ध किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति के विचारण के लिए कोई न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट की सम्मति के बिना कार्यवाही नहीं करेगा।"

7. माननीय उच्चतम न्यायालय ने भूपेन्द्र सिंह के प्रकरण (पूर्वोक्त) के कण्डिकाएँ 4 से 6 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

"4. अनावेदक के अभियोजन हेतु सम्मति संबंधित जिले के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदान की गई थी और इस संबंध में, अपीलार्थी की ओर से दिनांक 24-04-1995 को जारी एक अधिसूचना का अवलंब लिया गया था। इस अधिसूचना के अधीन राज्य ने संयुक्त कलेक्टर और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को



ग्वालियर जिले के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त किया था और यह निर्देशित किया था कि वह "उक्त संहिता (दंड प्रक्रिया संहिता) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन प्रदत्त जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेंगे।" अपीलार्थी की ओर से यह तर्क दिया गया है कि पश्चातवर्ती अधिसूचना के कारण, केंद्र सरकार द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को प्रत्यायोजित पदार्थ अधिनियम की धारा 7 के अधीन शक्तियाँ अब अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को प्रत्यायोजित कर दी गई हैं, और तदनुसार, अनावेदक के अभियोजन के लिए उनके द्वारा प्रदान गई सम्मति वैध थी।

5. इस तर्क को स्वीकार करना कठिन है। उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन सम्मति प्रदान की शक्ति केंद्र सरकार के पास निहित है। केंद्र सरकार ने इसे जिला मजिस्ट्रेट को प्रत्यायोजित किया है। हमारे विचार में, राज्य सरकार के लिए यह सक्षम नहीं है कि वह केंद्र सरकार की उस शक्ति को आगे अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को प्रत्यायोजित करे, जिसे केंद्र सरकार ने केवल जिला मजिस्ट्रेट को प्रत्यायोजित किया है।

6. इस न्यायालय का हरि चंद अग्रवाल विरुद्ध बटाला इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड एआईआर 1969 (एससी) 483 के प्रकरण में पारित निर्णय भी यहाँ सुसंगत है। इस न्यायालय ने कहा था कि जहाँ भारत रक्षा अधिनियम की धारा 20 के अधीन अधिसूचना के आधार पर, केंद्र सरकार ने अपनी धारा 29 की शक्तियाँ जिला मजिस्ट्रेट को प्रत्यायोजित किया था, वहाँ एक अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धारा 29 के अधीन संपत्ति का अधिग्रहण करने के लिए केवल इसलिए सक्षम नहीं हो जाता क्योंकि उसे धारा 10(2) के अधीन जिला मजिस्ट्रेट की समस्त शक्तियाँ प्रदान की गई थीं।"

8. जब वर्तमान प्रकरण का परीक्षण पदार्थ अधिनियम की धारा 7 में निहित प्रावधानों और माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के आलोक में किया जाता है, तो यह सुस्पष्ट हो जाता है कि अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 05.08.2011 को जारी किया गया आदेश पदार्थ अधिनियम की धारा 7 के अनुरूप नहीं है जो स्पष्ट रूप से कहती है कि इस अधिनियम के विरुद्ध किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति के विचारण के लिए कोई न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट की सम्मति के बिना कार्यवाही नहीं करेगा। इसका तात्पर्य यह है कि उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों में शामिल किसी भी व्यक्ति के अभियोजन हेतु केवल जिला मजिस्ट्रेट ही मंजूरी देने हेतु सक्षम हैं। प्रकरण के इस परिप्रेक्ष्य में, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ऐसा मंजूरी आदेश जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं हैं। मेरा यह सुविचारित अभिमत है कि प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दिनांक 14.10.2011 को पारित आदेश जिसके माध्यम से अनावेदक को पदार्थ अधिनियम की धारा 3 व 4 के अधीन आरोपित अपराध से इस टिप्पणी



के साथ उन्मोचित किया गया है कि अभियोजन के पास अन्य विधिक कार्रवाई करने का विकल्प होगा उचित एवं न्यायसंगत है और इसमें इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

9. परिणामतः, राज्य द्वारा अनावेदक के उन्मोचन के विरुद्ध प्रस्तुत यह दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका सारहीन होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है एवं एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

सही/-
(राधाकिशन अग्रवाल)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

